

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,  
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017

वर्ष 2022-23 अवधि के लिए कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन,  
मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि की  
नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र

1. दरें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम व पूर्ण पता :-
- .....
- .....

2. फर्म/व्यक्ति का दूरभाष नं ..... टिन/जी.एस.टी. नं .....  
पेन नं .....

3. संस्था का नाम जिसको दरें प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रबन्ध निदेशक  
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.  
जयपुर

4. प्रपत्र की राशि 200/- नकद/डी.डी. सं ..... रसीद नं ..... दिनांक .....
5. हमारे द्वारा/मेरे द्वारा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है। सभी शर्तों से  
मैं/हम सहमत है।
6. बोली प्रतिभूति राशि 10000/- डी.डी. नं. ..... दिनांक ..... संलग्न है।  
नकद राशि रसीद क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करवा दी है।
7. अनुबंध की तिथि से 31.03.2023 तक के लिये रद्दी कतरन/स्क्रेप क्रय हेतु हमारी/मेरी दरें  
निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

रद्दी कतरन व अन्य सामग्री की अनुमानित वार्षिक बिक्री- 5.00 लाख - बोली प्रतिभूति राशि - 10000/-		
क्रं.	विवरण	प्रस्तावित दर प्रति किच. + जी.एस.टी.
1.	सफेद कतरन	
2.	रंगीन कतरन	
3.	मलठ एवं कचरा	
4.	अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म	
5.	ऐल्यूमिनियम प्लेटस् स्क्रेप	

दिनांक

हस्ताक्षर व्यक्ति/फर्म व मोहर

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर

कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन, मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि की नीलामी हेतु शर्ते :-

मुद्रणालय की कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन, मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि की बिक्री हेतु निविदा/नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है:-

1. मुद्रणालय के कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन, मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि की एक वर्ष की अवधि के लिये बिक्री (नीलामी) करने हेतु निविदा दिनांक 21.02.2022 को सायं 5.00 बजे तक फर्म/व्यक्तियों से दरें (निविदायें) आंमत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त दरों को दिनांक 23.02.2022 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित व्यक्तियों/फर्म के समक्ष खोला जावेगा। इच्छुक फर्म/व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में दरें भरकर लिफाफे में सीलबन्द कर प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर को सम्बोधित करते हुए दिनांक को सायं बजे तक या इससे पूर्व इस मुद्रणालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म इस कार्यालय में 200/- रुपये नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
2. इच्छुक फर्म/व्यक्ति को कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन, मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि क्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग दरें प्रस्तुत करनी होगी। दरों में जी.एस.टी. अतिरिक्त देना होगा।
3. कागज कटिंग/रद्दी कतरन सफेद व रंगीन, मलठ/कचरा/अनुपयोगी (वेस्ट) आर्ट फिल्म/ऐल्यूमिनियम प्लेट स्क्रेप आदि की बिक्री हेतु स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
4. मुद्रणालय में दरें (निविदायें) को प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति को दरों के साथ 10000/- रुपये की बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.जयपुर के पक्ष में देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा अथवा नकद मुद्रणालय में जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अधिक होगी उसकी निविदा के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त अन्य सभी फर्म/व्यक्तियों की मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति राशि को पांच दिवस में वापिस कर दिया जावेगा।
5. जिस फर्म/व्यक्ति की दरें स्वीकृत होगी उसको बतौर कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में 25000/- रुपये की राशि मुद्रणालय में जमा करवानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं

होगा। उक्त राशि एक वर्ष के लिये मुद्रणालय में जमा रहेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने पर फर्म की निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

6. अनुमोदित फर्म/व्यक्ति को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मुद्रणालय से रद्दी कतरन सफेद, रंगीन, मलठ व कचरे को अलग—अलग बोरो में भरकर उठाना होगा। बोरो को मुद्रणालय की नियुक्त कमेटी के समक्ष तोलकर रद्दी सामग्री का पूरा भुगतान मुद्रणालय में जमा कराना होगा। रद्दी सामग्री का पूरा भुगतान होने के पश्चात ही रद्दी सामग्री को से मुद्रणालय से बाहर उठाया जा सकेगा।
7. माल की तुलवाई मुद्रणालय में ही कमेटी के समक्ष मुद्रणालय के कांटे पर की जावेगी।
8. रद्दी के बोरे यदि मुद्रणालय के होगे तो उसकी राशि 50.00 रुपये प्रति बोरा अलग से देय होगा।
9. अनुमोदित फर्म/व्यक्ति को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रणालय के पक्ष में एक अनुबंध करना होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में मुद्रणालय प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
11. बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न करने बिड के साथ आनलाईन करना होगा।
12. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
13. फर्म/व्यक्ति से प्राप्त किसी भी दर को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार मुद्रणालय प्रशासन को होगा।
14. रद्दी बिक्री बाबत अन्य किसी प्रकार का व्यय मुद्रणालय द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
15. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृति पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी संगत विधिक प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक